

क्रेडिट गारंटी योजना – I, II & III

सीजीटीएमएसई के सभी सदस्य ऋण देने वाले संस्थान (एमएलआई)

परिपत्र सं.246/2024-25

महोदया/ प्रिय महोदय,

ट्रांसजेंडर द्वारा प्रवर्तित एमएसई को विशेष लाभ प्रदान करना

समीक्षा के बाद, ट्रांसजेंडर को सामाजिक श्रेणी में जोड़ने और ट्रांसजेंडर उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को विशेष लाभ देने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, ट्रांसजेंडर उद्यमियों द्वारा स्थापित एमएसई के संबंध में सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं (एमएलआई) को दी जाने वाली ऋण गारंटी सहायता के वार्षिक गारंटी शुल्क की मानक दर में 10% की रियायत और 85% की उच्चतर गारंटी कवरेज की सीमा के लिए पात्र होंगी।

उक्त दिशानिर्देश 01 मार्च, 2025 को या उसके बाद अनुमोदित गारंटियों के लिए लागू होंगे। क्रेडिट गारंटी योजनाओं की अन्य सभी नियम व शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

कृपया इस परिपत्र की विषय-वस्तु को अपने सभी कार्यालयों के ध्यान में लाएँ।

भवदीय,

ह/-

(धीरज कुमार)
उप महाप्रबंधक

